From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अयूब बनाम जगमाल वगै0

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र –212 संख्या 43 वर्ष 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 15.03.2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 717/0.38, 1157/0.10, 718/0.16है0 वाके ग्राम बाघौर पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पे0 रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर)	

(2) पत्रावली आज पेश हुई वादी का वाद विड्रॉ कर खारिज किया गया है। यह प्रा0प0 भी खारिज किया जाता है प्रा0प0 शामिल मूल वाद हो।